बच्चों को एक साथ चाहिए पैरेंट्स का प्यार : SC

Rajesh.Choudhary
@timesgroup.com

■नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों को माता-पिता दोनों का प्यार एक साथ चाहिए, न कि सिर्फ एक का प्यार, क्योंकि पैरेंट्स ही हैं जो बच्चों को दुनिया में लाते हैं। कोर्ट के मुताबिक, ये दोनों को समझना होगा कि पिता की भूमिका मां नहीं निभा सकती, वैसे ही मां की भूमिका पिता नहीं निभा सकता। वैवाहिक विवाद से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अमेरिका में रहने वाली महिला अपने बच्चों से मेंगलुरु में मिल सकती है। महिला की ओर से अर्जी दाखिल कर बच्चों से मिलने की इजाजत मांगी गई थी। बच्चे अपने पिता के साथ केरल में रहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मां के बच्चों से मिलने के दौरान पिता की दखलअंदाजी नहीं होगी और इस दौरान दोनों सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखेंगे। साथ ही इस बात का भी खयाल रखेंगे कि दोनों कोई अप्रिय व्यवहार नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि दोनों काफी पढ़े-लिखे हैं, उम्मीद की जाती है कि पैरेंट्स बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर. के. अग्रवाल और ए. एम. सप्रे की बेंच ने कहा कि पैरेंट्स को समझना होगा कि दोनों की लड़ाई के कारण बच्चों को मां का साथ नहीं मिल पाया, जबकि इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं थी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि मां एक हफ्ते के लिए अपने बच्चों से मेंगलुरु में मिल सकती है।